



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102020-222292  
CG-DL-E-07102020-222292

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 291]  
No. 291]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 7, 2020/आश्विन 15, 1942  
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 7, 2020/ASVINA 15, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
(वाणिज्य विभाग)  
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)  
सार्वजनिक सूचना  
नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2020  
सं. 24/2015-20

विषय: निर्यात उत्पादों—बैरियर पेपर के साथ अथवा उसके बिना डबल डेकोरेटिव/सिंगल साइड लैमिनेट्स के सिओन ज-68, ज-301 और ज-302 में संशोधन।

फा. सं. 01/83/171/0028/एम-20/डीईएस-IV.—प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के पैरा 1.01 के साथ पठित विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-II में बैरियर पेपर के साथ/बिना सिंगल साइड डेकोरेटिव लैमिनेट के निर्यात के लिए सिओन ज-301 और ज-302 में संशोधन और बैरियर पेपर के साथ डबल साइड लैमिनेट्स के निर्यात के लिए सिओन ज-68 में भी संशोधन को अधिसूचित करते हैं।

2. सिओन ज-68, ज-301 और ज-302 में मौजूदा प्रविष्टि को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाए:—

ज68	बैरियर पेपर के साथ डबल साइड डेकोरेटिव लैमिनेट्स	14.5 +/−2.5 प्रतिशत के साथ 1 वर्ग मीटर x 10 मिमी मोटाई	1		क्राफ्ट पेपर	9.15 कि० ग्रा०
			2		बेस पेपर	0.214 कि० ग्रा०
			3		बैरियर पेपर	0.172 कि० ग्रा०

			4		टिशू पेपर	0.027 कि० ग्रा०
			5		फेनोल	3.344 कि० ग्रा०
			6		मेलामाइन	0.362 कि० ग्रा०
			7		पैराफार्मल्लिडहाइड (91+/-1% शुद्धता) अथवा मेथनॉल	2.90 कि० ग्रा० 3.85 कि० ग्रा०
			8		बी.ओ.पी.पी. फिल्म	0.01 कि० ग्रा०

- टिप्पणी:** 1. उपर्युक्त मानदंड 14.5 कि०ग्रा० +/-2.5 प्रतिशत औसत वजन के साथ 10.00 एमएम मोटाई पर आधारित हैं और **0.8 एमएम से 30 एमएम मोटाई** पर लागू हैं।
2. मोटाई/भार में भिन्नता के मामले में अनुमत की जाने वाली आयात की मद अर्थात् फिनोल, पैराफार्मल्लिडहाइड/मेथनॉल और क्राफ्ट पेपर की मात्रा निम्नलिखित सूत्र अपनाकर निर्धारित की जा सकती है: क x ख/ग जहां
- क = 14.5 कि०ग्रा० +/-2.5 प्रतिशत भार की 10.00 एमएम मोटाई हेतु अनुमत मात्रा,
- ख = निर्यात करने के लिए प्रस्तावित डेकोरेटिव लेमिनेट्स की मोटाई अथवा भार प्रति वर्ग मीटर,
- ग = 10.00 एमएम मानक मोटाई या 10 एमएम मोटाई के 14.5 कि० ग्रा०/प्रति वर्ग मीटर का मानक भार।
3. निर्यात किए जाने वाले डेकोरेटिव लेमिनेट्स की मोटाई और भार पर ध्यान दिए बिना अन्य मदों अर्थात् बेस पेपर, बैरियर पेपर, टिशू पेपर, मेलामाइन और बीओपीपी फिल्म की मात्रा अपरिवर्तित रहेंगी।

<b>ज301</b>	बैरियर पेपर के साथ सिंगल साइड डेकोरेटिव लैमिनेट्स	+/-2.5% के साथ 1.45 कि० ग्रा० भार की 1 वर्ग मीटर x 1 मि० मी० मोटाई	1		क्राफ्ट पेपर (60 जीएसएम-205 जीएसएम)	0.937 कि० ग्रा०
			2		बेस पेपर (50 जीएसएम-150 जीएसएम)	0.107 कि० ग्रा०
			3		बैरियर पेपर (50 जीएसएम-120 जीएसएम)	0.086 कि० ग्रा०
			4		टिशू पेपर (18 जीएसएम-38 जीएसएम)	0.030 कि० ग्रा०
			5		फेनोल	0.343 कि० ग्रा०
			6		मेलामाइन	0.181 कि० ग्रा०
			7		पैराफार्मल्लिडहाइड (91+/-1% शुद्धता) अथवा	0.300 कि० ग्रा०
			7		मेथनॉल	0.398 कि० ग्रा०
			8		बी.ओ.पी.पी. फिल्म	0.010 कि० ग्रा०

- टिप्पणी: 1. उपर्युक्त मानक 1.45 कि० ग्रा०  $\pm$  2.5 प्रतिशत के औसत भार के साथ 1.00 मि० मी० मोटाई के आधार पर तैयार किया गया है।
2. मोटाई/भार में भिन्नता के मामले में, अनुमत की जाने वाली आयात मद जैसे फेनोल, पैराफार्माल्डिहाइड/मेथनॉल और क्राफ्ट पेपर की मात्रा निम्नलिखित सूत्र को अपनाकर निर्धारित की जा सकती है।

$\frac{क \times ख}{ग}$

ग

जहां क = 1.45 कि० ग्रा०  $\pm$  2.5% भार के साथ 1.00 मि० मी० मोटाई के लिए अनुमत मात्रा

ख = निर्यात किए जाने हेतु प्रस्तावित डेकोरेटिव लैमिनेट्स की मोटाई या भार/वर्ग मीटर

ग = 1.00 मि०मी० की मानक मोटाई अथवा 1.00 मि०मी० मोटाई के 1.45 कि०ग्रा०/वर्ग मीटर का मानक भार।

3. निर्यात किए जाने वाले डेकोरेटिव लैमिनेट की मोटाई और भार पर ध्यान दिए बिना मदों जैसे बेस पेपर, बैरियर पेपर, टिशू पेपर, मेलामाइन और बीओपीपी फिल्म की मात्रा अपरिवर्तित रहेगी।
4. उपर्युक्त मानक केवल 0.3 मि०मी० और 3.0 मि०मी० के बीच मोटाई वाले डेकोरेटिव लैमिनेट्स पर लागू हैं।

ज302	बैरियर पेपर के बिना सिंगल साइड डेकोरेटिव लैमिनेट्स	1.45 कि० ग्रा० भार $\pm$ 2.5% के साथ 1 वर्ग मीटर x 1 मि० मी० मोटाई	1		क्राफ्ट पेपर (60 जीएसएम-205 जीएसएम)	1.033 कि० ग्रा०
			2		बेस पेपर (50 जीएसएम-150 जीएसएम)	0.133 कि० ग्रा०
			3		टिशू पेपर (18 जीएसएम-38 जीएसएम)	0.033 कि० ग्रा०
			4		फेनोल	0.435 कि० ग्रा०
			5		मेलामाइन	0.133 कि० ग्रा०
			6		पैराफार्माल्डिहाइड (91+/-1% शुद्धता) अथवा	0.300 कि० ग्रा०
			6		मेथनॉल	0.398 कि० ग्रा०
			7		बी.ओ.पी.पी. फिल्म	0.011 कि० ग्रा०

- टिप्पणी: 1. उपर्युक्त मानक 1.45 कि० ग्रा०  $\pm$  2.5 प्रतिशत के औसत भार के साथ 1.00 मि० मी० मोटाई के आधार पर तैयार किया गया है।
2. मोटाई/भार में भिन्नता के मामले में, अनुमत की जाने वाली आयात मद जैसे फेनोल, पैराफार्माल्डिहाइड/क्राफ्ट पेपर और टाइटेनियम डाइआक्साइड की मात्रा निम्नलिखित सूत्र को अपनाकर निर्धारित की जा सकती है।

$\frac{क \times ख}{ग}$

ग

जहां क = 1.45 कि० ग्रा०  $\pm$  2.5% भार के साथ 1.00 मि० मी० मोटाई के लिए अनुमत मात्रा।

ख = निर्यात किए जाने हेतु प्रस्तावित डेकोरेटिव लैमिनेट्स की मोटाई या भार/वर्ग मीटर

ग = 1.00 मि०मी० की मानक मोटाई अथवा 1.00 मि०मी० मोटाई के 1.45 कि०ग्रा०/वर्ग मीटर का मानक भार।

3. उपर्युक्त दी गई बीओपीपी की मात्रा निर्यात किए जाने हेतु डेकोरेटिव लेमिनेट्स की मोटाई और भार पर ध्यान दिए बिना डेकोरेटिव लेमिनेट्स के एक वर्ग मीटर के लिए होगी।
4. निर्यात किए जाने हेतु डेकोरेटिव लेमिनेट्स की मोटाई और भार में परिवर्तन पर ध्यान दिए बिना अन्य सभी मदों की मात्रा अपरिवर्तित रहेगी।
5. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त सूत्र केवल उन डेकोरेटिव लेमिनेट्स के मामले में लागू है जिनकी मोटाई 0.3 मिमी और 3.0 मिमी के बीच है।

3. इस संशोधन का प्रभाव:—

आयात मद फेनोल की मात्रा काफी समय पहले सिसोन में निर्धारित की गई थी और प्रौद्योगिकी आदि की प्रगति के साथ कुछ समय के बाद फेनोल की खपत कम हो गई है और तदनुसार इसे सिसोन में शामिल किया गया। इसके अलावा संशोधित मानक निविष्टि उत्पादन मानदंडों (सिसोन) में आयात मद-टिशू पेपर की कम जीएसएम और निर्यात उत्पाद लेमिनेट्स की कम मोटाई को भी शामिल किया गया है जो निर्यातकों को निर्यात को बढ़ावा देने की सुविधा प्रदान करेगा।

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार  
एवं पदेन अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**(Department of Commerce)**  
**(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)**

**PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 7th October, 2020

**No. 24 /2015-20**

**Subject : Revision of SION H-68, H-301 & H-302 of Export Products- Double Decorative/Single side Laminates with or without Barrier Paper –**

**F. No. 01/83/171/0028/AM-20/DES-IV.**—In exercise of the powers conferred under paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy, 2015-20 read with paragraph 1.01 of Handbook of Procedure 2015-20, the Director General of Foreign Trade notifies the amendment in SIONs, H-301 & H-302 for the export of single side decorative laminate with/without barrier paper and also amendment in SION H-68 for the export of double side decorative laminates with Barrier Paper in the Handbook of Procedure Vol.II.

2. The existing entry in SIONs H-68, H-301 & H-302 are amended to read as under :-

<b>H-68</b>	<b>Double Side Decorative Laminates with Barrier Paper</b>	<b>1 Sq.Mtr x 10.00 mm thickness of 14.5 kg +/- 2.5%</b>	1		Kraft Paper	9.15 kg
			2		Base Paper	0.214 kg
			3		Barrier Paper	0.172 kg
			4		Tissue Paper	0.027 kg
			5		<b>Phenol</b>	<b>3.344 kg</b>
			6		Melamine	0.362 kg
			7		Paraformaldehyde (91+/-1% Purity) OR Methanol	2.90 kg 3.85 kg
			8		B.O.P.P. Film	0.01 kg

**Note :** 1. The above norms are based on 10.00 mm thickness with average weight of 14.5 kg +/- 2.5% and are applicable on **0.8 mm to 30 mm thickness**.

2. In case of variation in thickness/weight, the quantity of item of import viz. Phenol, Para formaldehyde/Methanol and Kraft paper to be allowed may be arrived at by adopting the following formula:  $AxB/C$  where A=Quantity allowed for 10.00 mm thickness of weight. 14.5 kg +/- 2.5% B=The thickness or weight/ sq. Meter of decorative laminates proposed to be exported. C = Either the Standard thickness of 10.00 mm or the Standard weight of 14.5 kg/Sq.Meter of 10.00 mm thickness.

3. The quantity of other items viz. Base Paper, Barrier Paper, Tissue Paper, Melamine and BOPP film will remain unchanged irrespective of thickness and weight of decorative laminate to be exported.

<b>H301</b>	<b>Single Side Decorative Laminates with barrier paper</b>	<b>1 sq meter x 1 mm Thickness of wt. 1.45 Kg +/-2.5%</b>	1		<b>Kraft paper (60 gsm – 205 gsm)</b>	0.937 kg
			2		Base Paper (50 gsm - 150 gsm)	0.107 kg
			3		Barrier Paper (50 gsm - 120 gsm)	0.086 kg
			4		<b>Tissue Paper (18gsm - 38 gsm)</b>	0.030 kg
			5		<b>Phenol</b>	<b>0.343 kg</b>
			6		Malamine	0.181 kg
			7		Paraformaldehyde (91 +/- 1% Purity) OR	0.300 kg
			7		Methanol	0.398 Kg
			8		B.O.P.P. Film	0.010 kg

**Note :** 1. The above norm has been worked out on the 1.00 mm thickness with average wt. of 1.45 Kg +/- 2.5%

2. In Case of variation in thickness/weight, the quantity of item of import viz. Phenol, Para Formaldehyde/Methanol and Kraft Paper to be allowed may be arrived by adopting the following formula:

$$AxB/ C$$

Where A=Qty. allowed for 1.00 mm thickness of wt. 1.45 Kg +/-2.5%.

B= The thickness or wt/sq. meter of decorative laminates proposed to be exported.

C=Either the Standard thickness of 1.00 mm or the Standard wt. of 1.45 Kg/sq. meter of 1.00 mm thickness.

3. The quantity of items viz. Base Paper, Barrier Paper, Tissue Paper, Melamine and BOPP Film will remain unchanged irrespective of thickness and weight of decorative laminate to be exported.

4. The above norms are applicable only in case of Decorative Laminates having thickness range between **0.3 mm and 3.0 mm thickness**.

<b>H302</b>	<b>Single Side Decorative Laminates without Barrier Paper</b>	<b>1 sqmtr x 1 mm Thickness of wt. 1.45 Kg +/-2.5%</b>	1		<b>Kraft paper (60 gsm – 205 gsm)</b>	1.033 Kg
			2		Base Paper (50 gsm - 150 gsm)	0.133 kg
			3		Tissue Paper (18 gsm - 38 gsm)	0.033 kg
			4		<b>Phenol</b>	<b>0.435 kg</b>
			5		Melamine	0.133 kg
			6		Paraformaldehyde (91+/-1% Purity) OR	0.300 kg
			6		Methanol	0.398 Kg
			7		B.O.P.P. Film	0.011 kg

**Note:**1. The above norms has been worked out on the 1.00 mm thickness with average wt. of 1.45 Kg +/-2.5%

2. In case of variation in thickness/weight, the quantity of item of import viz. Phenol, Paraformaldehyde, Kraft paper and Titanium Dioxide to be allowed may be arrived by adopting Formula:

AxB/C

Where

A= Qty. allowed for 1.00 mm thickness of wt. 1.45 Kg +/-2.5%.

B= The thickness or wt/sq. meter of decorative laminates proposed to be exported.

C=Either the Standard thickness of 1.00 mm or the Standard wt.of 1.45 Kg/sq. meter of 1.00 mm thickness.

3. The quantity of BOPP film given above will be for one sq. meter of Decorative Laminates irrespective of thickness and weight of decorative laminates to be exported.

4. The quantity of all the other items unchanged irrespective of change of thickness and weight of decorative laminates to be exported.

5. It is clarified that the above formula is applicable only in case of Decorative Laminates having thickness range between **0.3 mm and 3.0 mm**.

3. Effect of this amendment –

The quantity of Import item Phenol was fixed long back in SIONs and with the advancement of technology etc., over a period of time, the consumption of phenol is reduced and accordingly, it was incorporated in SIONs. In addition to this, in amended Standard Input Output Norms (SIONs), the lower GSM of import item- Tissue paper and lower thicknesses of export product Laminates have also been incorporated which will facilitate the exporters to boost the export.

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade  
& Ex-officio Addl. Secy.